विशेष श्रेणी का दर्जा

प्रिलिम्स के लिये:

विशेष श्रेणी के राज्य, गाडगिल सूत्र

मेन्स के लिये:

विशेष श्रेणी की स्थिति से जुड़े लाभ और मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि**केंद्र किसी भी राज्य के लिये 'विशेष श्रेणी के दर्जे' की मांग पर विचार नहीं करेगा** क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विशेष दर्जा नहीं दिया जा सकता है।

- यह **ओडिशा, बिहार, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिये बड़ा झटका** है क्योंकि ये राज्य पिछले कुछ वर्षों से विशेष श्रेणी के **दर्जे** की मांग कर रहे हैं।

विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS):

- **परिचय:**
  - विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) **केंद्र द्वारा निर्धारित उन राज्यों का एक वर्गीकरण है जो भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक नुकसान का सामना करते हैं।**
  - **संविधान SCS के लिये प्रावधान नहीं करता है** और यह वर्गीकरण बाद में **1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर** किया गया था।
  - **पहली बार वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड** को यह दर्जा दिया गया था।
  - पूर्व में **योजना आयोग की राष्ट्रीय विकास परिषद** द्वारा योजना के तहत सहायता के लिये SCS प्रदान किया गया था।
  - **असम, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना** सहित 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया।
    - तेलंगाना, भारत के सबसे नवीन राज्य को यह दर्जा दिया गया था क्योंकि इसे आंध्र प्रदेश राज्य से अलग किया गया था।
  - 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्जा' समाप्त कर दिया है।
    - इसने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के संसाधन अंतर को 'कर हस्तांतरण' के माध्यम से भरा जाए, केंद्र से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया गया है।
  - **SCS, विशेष स्थिति से अलग** है जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, जबकि विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) केवल आर्थिक और वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
    - उदाहरण के लिये **अनुच्छेद 370** के निरस्त होने से पहले जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था।
- **निर्धारक (गाडगिल सिफारिश पर आधारित):**
  - पहाड़ी इलाका
  - कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा
  - पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर सामरिक स्थिति
  - आर्थिक और आधारभूत संरचना पिछड़ापन
  - राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति

विशेष श्रेणी के दर्जे के लाभ:

- अन्य राज्यों के मामले में 60% या 75% की तुलना में**केंद्र प्रायोजित योजना** में **आवश्यक निधि का 90% विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान**

किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।

- **वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि व्यपगत नहीं होती** है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्यों को **उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर** में महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान की जाती हैं।
- **केंद्र के सकल बजट का 30% विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है।**

विशेष श्रेणी के दर्जे के संबंध में चिंताएँ:

- यह **केंद्रीय वित्त पर दबाव में वृद्धि करता है।**
- साथ ही एक राज्य को विशेष दर्जा देने से **दूसरे राज्य भी ऐसी मांग करने लगते हैं।** उदाहरण के लिये **आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बिहार द्वारा की जाने वाली मांग।**

निष्कर्ष:

- जैसा कि 14वें वित्त आयोग ने सुझाव दिया था, **राज्यों को कर हस्तांतरण बढ़ाकर 42% कर दिया गया है** और इसे [15वें वित्त आयोग (41%)](#) द्वारा भी जारी रखा गया है ताकि SCS का विस्तार किये बिना संसाधन भिन्नता/अंतर को कम किया जा सके।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-category-status-2